संख्या-276/2022/1123/001-41-2022-33 budget-18

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 04 मई,2022**

विषयः- जनपद लखनऊ के ऐशबाग स्थित रामलीला ग्राउण्ड के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-552/6-1-1(923)/2018-19 दिनांक 29.04.2022 दिनांक 28.04.2022 एवं पत्र संख्या-641/6-1-1/,(923)/2018-19, दिनांक 29.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जनपद लखनऊ के ऐशबाग स्थित रामलीला ग्राउण्ड के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु शासनादेश संख्या 12/2020/08/41-2020-33 (बजट)/18, दिनांक 14.01.2020 द्वारा प्रयोजना रचना एवं मुल्यांकन प्रभाग द्वारा मूलयांकित लागत के क्रम में उच्च विशिष्टियों के कार्यों सहित, निम्नाकित निर्णय लिया गया:-

क्रमांक	कार्य का नाम	धनराशि
1	ऐशबाग रामलीला परिसर में द्वितलीय तुलसी रंगमंच एवं मंच के पीछे ग्रीन रूम का निर्माण कार्य हेतु बेसमेन्ट भूतल तथा प्रथम तल का कार्य प्रस्तावित है तथा इसमें फाल्स सीलिग ए0सी0 सोलर पैनल तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं डोम का प्रविधान।	803.80 लाख
2	श्री राम भवन के सौन्दर्यीकरण के कार्य में ईकों प्राबलम दूर करने हेतु साउंड टीटमेट केन्द्रीयकृत वातानुकूलन का कार्य लाइट एण्ड सांउड का कार्य थियटर स्टाइल फिक्ससिटिंग, फाल्स सीलिंग एवं अन्य मरम्मत का कार्य का प्राविधान।	416.07 लाख
3	मंच के दाहनी ओर स्थित श्री केदार नाथ पाद्या जी द्वार का पुनर्निर्माण हेतु गेट-वे बाउण्ड्रीवाल शॉप एवं वाहा विद्युतीकरण के कार्य का प्रविधान।	32.08 लाख
कार्यदायी संस्था द्वारा कुल आगणित धनराशि		**1251.95 लाख**
प्रायोजना रचना द्वारा मूल्यांकित धनराशि		**1067.17 लाख+ जी0एस0टी0**

3. वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या 16/2021/079/41-2021-33 (बजट)/18 दिनांक 11.01.2021 द्वारा प्रश्नगत प्रयोजना हेतु रू0 1067.17 लाख+ जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 160.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 28.04.2022 द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रू0 160.00 लाख का उपभोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, संयुक्त निरीक्षण आख्या, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, अनुबन्ध प्रत्र,पर्ट चार्ट, बार चार्ट, टाइम लाइन, क्षतिपूर्ति बंध पत्र, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त आगणन, निविदा प्रपत्र, कार्यादेश, अनुबन्ध पत्र एवं अद्यतन फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराये हुये अवशेष धनराशि को अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

5. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रयोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष करते है:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या: 12/2020/08/41-2020-33 (बजट)/18 दिनांक 14.01.2020 एवं शासनादेश संख्या 16/2021/079/41-2021-33(बजट)/18, दिनांक 11.01.2021 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णातय करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक), उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2020/बी1-149/दस-2020-231/2020,दिनांक 24 माच, 2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020,दिनांक 07.04.2022 शासनादेश सं0 5/2020बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020, दिनांक 11.04.2020, शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020, कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022,दिनांक 30.12.2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022,दिनांक 29 मार्च, 2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधनों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि को हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्थाएवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2**,50,00,000 (** रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष **2022-23** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **044** लेखा शीर्षक **5452801040800** मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद **24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**15/2021/**बी-**1-829/**दस-**2021-231/2022,** दिनांक- **30** दिसंबर**, 2021** एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के शासनादेश संख्या: **5/2022/**बी-**1-224/**दस-**2022-231/2022** दिनांक- **29** मार्च **2022** मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-276/2022/1123/001-41-2022-33 budget-18 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन**,** लखनऊ ।
4. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
7. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0**,** लखनऊ।
9. परियोजना प्रबन्धक**,** उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0**,** बलरामपुर हॉस्पिटल यूनिट**,** लखनऊ।
10. वेब अधिकारी**,** पर्यटन विभाग।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।